बिहार सरकार

परिवहन विभाग

संवाहक अनुज्ञप्ति (Conductor License) प्राप्त करने हेतु आवेदक कृपया ध्यान दें

परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 एवं बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के संगत प्रावधानों के आलोक में वाहन चालकों को चालक अनुज्ञप्ति (Driving License) एवं संवाहकों को संवाहक अनुज्ञप्ति (Conductor License) निर्गत किया जाता है।

बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के प्रावधानों के आलोक में संवाहक अनुज्ञप्ति (Conductor License) हेतु आवेदक की शैक्षणिक योग्यता दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण होना प्रावधानित था, जिसे राज्य सरकार द्वारा संशोधित करते हुए **"किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आठवीं कक्षा में उत्तीर्ण"** होना प्रावधानित किया गया है, जो दिनांक–28.01.2026 से प्रभावी है।

अतः इसके माध्यम से सूचना दी जाती है कि संशोधित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर संवाहक अनुज्ञप्ति (Conductor License) के निर्गमन हेतु आवेदक द्वारा Sarathi.parivahan.gov.in पोर्टल पर Login कर ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया जा सकता है।

(आरिफ अहसन)
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।